न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 07/2015 वाद पत्र

उनवान

1–पारसमल पिता नाथूलाल पोखरणा आयु वयस्क नि0 मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)

वादी

बनाम

1–बसन्तीलाल पिता भूरालाल जैन आयु वयस्क नि0 मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
2–शंकरलाल पिता गेहरीलाल जैन आयु वयस्क नि0 मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)हाल 68,रणछोड नगर, विभाग–2 सरस्वती स्कूल के पास, चांदलौड़िया तालाब के पास चांदलौडिया अहमदाबाद(गुजरात)
3–लैण्ड हॉल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा, 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन –

अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 23.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मोखुन्दा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 31.05.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त आधिपत्य एवं स्वामित्व की शामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 221 मे अंकित आराजी संख्या 754 रकबा 0.15 हे0, 843 रकबा 0.11 हे0, 844 रकबा 0.11 हे0, 845 रकबा 0.21 हे0, 848 रकबा 0.29 हे0, 850 रकबा 0.47 हे0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.34 हे0 मे वादी का 1/2 हिस्से का राजीनामे के अनुसार प्रतिवादी का जिस खसरा नम्बर पर कब्जा है व प्रतिवादी के नाम विभाजन से दर्ज करने व प्रतिवादी के पास जो भूमि खुली पड़ी हुई है व वादी के नाम से दर्ज करने एवं स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 23.05.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मोखुन्दा के आराजी नम्बर 754 रकबा 0.15 हे0, 848 रकबा 0.29 हे0, 850/1 रकबा 0.23 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.67 हे0 पारसमल पिता नाथूलाल पोखरणा सा0 देह खातेदार, आराजी नम्बर 843 रकबा 0.11 हे0, 844 रकबा 0.11 हे0,

845 रकबा 0.21 हे0, 850/2 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.67 हे0 बसन्तीलाल पिता भूरालाल, शंकरलाल पिता गेहरीलाल महाजन सा0 देह खातेदार बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा